निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 28 / 2021 तारीख दायरा 19.02.2021

उनवान

गुलाबचन्द पुत्र तुंगीलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद हाल मुकाम मोखापाडा पलायथा हाउस केथूनीपोल कोटा सिटी तहसील लाडपुरा जिला कोटा। —वादी

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र तुंगीलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद।
2. शिशुपाल पुत्र तुंगीलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद।
3. सुरेश पुत्र तुंगीलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद।
4. हेमराज पुत्र तुंगीलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद।
5. हरलाल पुत्र तुंगीलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,209 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादी) दिनांक :— 05.04.2021

श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:13 IST
Reason: SelfAttested

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी माल ग्राम माछल्या पटवार हलका कोटडी, माल ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हलका

कुराडिया खुर्द व माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद में स्थित है जिसका विवरण निम्न है–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
माछल्या	नई 81	52	1.78 है.

कुल 1 किता की कुल 1.78 हैक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
लक्ष्मीपुरा	नई 233	22	0.01 है.
		23	2.45 है.
		26	1.45 है.

कुल 3 किता की कुल 3.91 हैक्टर आराजी

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
सांगोद	नई 667	689	0.32 है.
		690	0.05 है.
		693	0.14 है.
		696	0.02 है.
		830	0.10 है.
		863	0.18 है.
		874	0.18 है.
		876	0.17 है.
		876/2655	0.06 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:31:13 IST
Reason: SelfAttested

कुल 9 किता की कुल [illegible] आराजी

उक्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 [illegible] 5 का प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसे वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी को अपनी उक्त आराजी का विकास कार्य कराने तथा बैंक से ऋण आदि प्राप्त करने के लिए वादी द्वारा अपने खाते की जामबंदी ऋण हेतु बैंक ऑफ बडौदा शाखा सांगोद में प्रस्तुत करने पर ज्ञात हुआ कि वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में वास्तविक नाम गुलाबचन्द पुत्र [illegible] संबंधित राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज

वास्तविक नाम गुलाबचन्द पुत्र तुंगीलाल दर्ज नहीं होने से काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा बैंक द्वारा भी वादी का राजस्व रेकार्ड में गुलाबचन्द के स्थान पर परमानन्द दर्ज होने से ऋण देने से मना कर दिया है। इसलिए वादी अपने गलत नाम परमानन्द के स्थान पर गुलाबचन्द पुत्र तुंगीलाल दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है तथा आराजी का विकास बैंक से बिना ऋण प्राप्त किये संभव नहीं हो पा रहा है। वादी द्वारा तहसील कार्यालय सांगोद में जाकर तहसीलदार साहब से उक्त गुलाबचन्द पुत्र तुंगीलाल वास्तविक नाम का राजस्व रेकार्ड में परमानन्द पुत्र तुंगीलाल के स्थान पर संशोधन करने की कहने पर उनके द्वारा न्यायालय में कार्यवाही कर नाम शुद्धि की घोषणा करवाने की कहा गया है। इस कारण प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावें कि–

वाद पत्र में वर्णित आराजी माल ग्राम माछल्या, माल ग्राम सांगोद, माल ग्राम लक्ष्मीपुरा में स्थित आराजी के राजस्व रेकार्ड में दर्ज परमानन्द पुत्र तुंगीलाल के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम गुलाबचन्द पुत्र तुंगीलाल की घोषणा की जावें तथा उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाकर अमल दरामद किया जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत किये जाने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं.1 ता 5 की ओर से वकील श्री मोहम्मद अशफाक द्वार वकालतनामा प्रस्तुत किया जाकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं वाद वादी को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। वकील वादी द्वारा एकतरफा बहस की गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, अध्यक्ष नगर पालिका सांगोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन करने तथा बहस वकील वादी सुनने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:13 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम माछल्या की खाता सं. नई 81 की कुल 1 किता की कुल 1.78 है. आराजी, ... नई 233 की कुल 3 किता की कुल 3.91 है. आराजी एवं माल

राजस्व रेकार्ड में दर्ज नाम परमानन्द पुत्र तुंगीलाल को दुरस्त कर गुलाबचन्द पुत्र तुंगीलाल दर्ज किया जावें तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहनभार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anjana Sharawat
Date: 2021.07.12 14:51:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले [illegible] जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(अंजना सहरावत)
सांगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद